न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 40/2017

अपीलान्ट्स

नारायणराम पुत्र श्री राणाराम, जाति जाट, निवासी– लूम्बानसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

1. राणाराम पुत्र डूंगरराम
2. चेतनराम पुत्र डूंगरराम
   जातियान जाट, निवासीगण– लूम्बानसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, शेरगढ जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.10.2017 तहसीलदार शेरगढ पीठासीन अधिकारी श्री केशरसिंह मेडतियां, आर0टी0एस0 प्रकरण संख्या 3/17 बअनुवान नारायणराम बनाम राणाराम वगैराह, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील।

– – –

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नाहर सिंह सोंलकी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रूघाराम चौधरी उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांक :14.05.2018

यह अपील अपीलान्ट अभिभाषक श्री नाहर सिंह सोंलकी ने अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.10.2017 तहसीलदार शेरगढ पीठासीन अधिकारी श्री केशरसिंह मेडतियां, आर0टी0एस0 प्रकरण संख्या 3/17 बअनुवान नारायणराम बनाम राणाराम वगैराह, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। तहसीदार शेरगढ द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबूतों की ओर ध्यान दिये बिना ही प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत जाकर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 आर टी एक्ट का खारिज करने में भारी भूल की है। इस से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री रूघाराम चौधरी ने अपनी उपस्थिति दी। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई जो तहसीलदार शेरगढ के पंत्राक राजस्व/2017/945 दिनांक 19.12.2017 के जरिये प्राप्त हुई। प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक श्री नाहर सिंह सोंलकी ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं लिखित में बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार शेरगढ का आदेश/निर्णय दिनांक 31.10.2017 निरस्त होना बताया कारण कि अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार शेरगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 251 आर टी एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं उसके भाई के ढाणी तक जाने वाला रास्ता पड़ौसी खसरा नं0 779 में से होकर मेरी ढाणी की ओर जाता है। उक्त कदमी पुश्तैनी पुराने रास्ते को राणाराम ने पत्थर रोककर के तारबंदी करके बंद कर दिया है। इस रास्ते से मेरा व अन्य का आवागमन होता है। जो रास्ता बंद हो गया है तथा उक्त कदमी रास्ता रोड़ से डामर सड़क से लगता है। तथा खसरा नं0 779 में चलने वाले रास्ते के अलावा मेरी ढाणी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में मेरा रास्ता बंद है। जिसके संबंध में फरवरी 2017 में ग्राम पंचायत सुवालिया के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता तुड़वाने का निवेदन किया। परन्तु ग्राम पंचायत ने कोई कार्यवाही नहीं की। और रास्ता तुड़वाने हेतु तहसीलदार शेरगढ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनांक 01.08.2017 को दर्ज कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये एवं साक्ष्य सबूत पत्रावली पर लिये गये तत्पश्चात् बिना किसी आधार के अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि तहसीलदार शेरगढ ने गलत निर्णय किया ग्राम लूम्बासर के खसरा नं0 779,878,879,890,896 व 897 संबंध में कोई विभाजन एवं बंटवाडा किया हुआ नही है। खसरा नं0 779 में केवल राणाराम व खेताराम खातेदार है तथा अपीलान्ट नारायणराम उक्त खसरे का खातेदार नहीं है। बंटवाडा नारायणराम खातेदार नहीं होने से कानूनन नहीं हो सकता है। प्रार्थी ने जहाँ से कटाणी रास्ते खुलवाने के लिए आवेदन पेश किया तथा सन् 2012 में आपसी सहमति से बंटवाडा खसरा नं0 779 का ना होकर अन्य खसरों का बंटवाडा है।

अपीलान्ट अभिभाषक अपनी निरन्तर बहस में न्यायालय का ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि नये रास्ते का आवेदन उपखण्ड अधिकरी शेरगढ के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का था जो जिसे विण्ड्रो किया गया क्योंकि उस प्रार्थना पत्र में खसरा नं0 740,740/2,740/1 का उल्लेख नहीं था। जो सहवन से रह गया था। अपीलान्ट की ढाणी में आने जाने हेतु नजदीकी सुविधाजनक एक मात्र खसरा नं0 779 में चलने वाला कदमी रास्ता ही है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक श्री रूघाराम चौधरी ने अपनी बहस शुरू करते हुए नारायणराम प्रार्थी क प्रार्थना पत्र तहसीलदार शेरगढ द्वारा प्रकरण 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध दर्ज कर सुनवाई प्रारंभ की। उक्त प्रकरण में पहले सुनवाई का

अधिकारक्षेत्र ग्राम पंचायत को प्राप्त है। प्रार्थी नारायणराम द्वारा अपने खसरा नं0 740/3 में आने जाने हेतु खसरा नं0 779 में से रास्ता चाहता है जो रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। उनका यह भी कथन है कि खसरा नं0 717 रकबा 3.03 बीघा, खसरा नं0 732 रकबा 70.17 बीघा, खसरा नं0 740 रकबा 72.03 बीघा एवं खसरा नं0 748 रकबा 42.02 बीघा ग्राम लुम्भानसर पटवार हल्का सुवालिया बाबत् दिनांक 27.03.2012 को सभी सह खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा तहसीलदार शेरगढ के समक्ष पेश किया गया। उक्त बंटवाडा विभाजन का नक्शा भी पेश किया गया जिस पर अपीलान्ट नारायणराम व अन्य सह खातेदारों के हस्ताक्षर किये गये है। उक्त विभाजन पत्र पर चार स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है। तथा तहसीलदार शेरगढ द्वारा प्रमाणित करके क्रमांक भू अ/2012/1365 दिनांक 30.03.2012 को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश दिया। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मय खर्चे सहित खारिज की जावें।

पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 08.08.2017 के मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि मौके पर कदीमी रास्ता बंद किया गया है तथा प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसी तरह दिनांक 11.05.2017 मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी खसरा नं. 779 में चलने वाले कदीमी रास्ते का उल्लेख है।

अतः उक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ के प्रकरण सं. 3/17 अनुवान सरकार बनाम राणाराम वगैरा निर्णय दिनांक 31.10.2017 का निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर निर्देश है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिवत् निर्णय पारित करे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर